न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 141/2011

सीसीएमएस : 2011/00029

1. करतारसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति रायसिंख साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर हाल अनूपगढ. राज.। –:मृतक

1/1. गुरमीतकौर पत्नी करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी तह.रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.।

1/2. परमजीतकोर पुत्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.।

1/3. जसवंतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.। –:मृतक

1/3/1. परमजीतकौर पत्नी श्री जसवंतसिंह जाति रायसिख साकिन सीड फार्म पक्का, अबोहर, जिला फाजिल्का पंजाब।

1/3/2. हरीबंश राय इकवन पुत्र श्री जसवंतसिंह जाति रायसिख साकिन सीड फार्म पक्का, अबोहर, जिला फाजिल्का पंजाब।

1/3/3 सूर्यवंश राय इकवन पुत्र श्री जसवंतसिंह जाति रायसिख साकिन सीड फार्म पक्का, अबोहर, जिला फाजिल्का पंजाब।

1/4. सीतो बाई पुत्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी बड़ा लालपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.।

1/5 राधादेवी पुत्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.।

1/6 कृष्णदेवी पुत्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.।

1/7 राजविन्द्रकौर पुत्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.।

1/8 मंजीतकौर पुत्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ राज.। –:वादीगण

बनाम

1. कशमीरसिंह पुत्र श्री हाकमसिह जाति रायसिख साकिन संघराना तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
2. सन्तासिंह पुत्र श्री हाकमसिंह जाति रायसिख साकिन संघराना तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
3. हंसराज पुत्र श्री हाकमसिंह जाति रायसिख साकिन कल्याणनगर गली नं. 3 बेगु रोड़ सिरसा हरियाणा।
4. हरबंशसिंह पुत्र श्री हाकमसिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. सुमित्रादेवी पत्नी हरबंश सिंह जाति रायसिख साकिन समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. करतारों बाई पुत्री हाकमसिंह जाति रायसिख साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख [illegible] 2011

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री मनीराम शर्मा अधिक्क्ता प्रतिवादीगण क्र. 4–5।

–: निर्णय :– दिनांक : 29.10.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी पिता हाकमसिंह के नाम चक 14 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 21 पं.नं. 267 / 340 के 6.200 है. बारानी मु.नं. 25 पं.नं. 271 / 340 में 8.18 बीघा नहरी खातेदारी भूमि थी। वादी के पिता द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि में से यानि मु.नं. 25 पं.नं. 271 / 340 के 8.18 बीघा नहरी भूमि जरिये बैयनामा अपने जीवन काल में मुन्तकिल कर दी जिसका इन्तकाल खरीदाराना के नाम दर्ज हो चुका है। वादी के पिता श्री हाकमसिंह ने अपने जीवन काल में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को अपनी अन्य सम्पति विभाजन करके दे दी जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का पंजाब ताथ हरियाणा में प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी सं. 4 जो सरकारी नौकरी में है अपनी हिस्सा की सम्पति मुझ वादी को दिए जाने की इच्छाा जाहिर की। इसलिए वादी के पिता के नाम शेष भूमि चक 14 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 21 पं.नं.267 / 340 के कि.नं. 1 ता 20 सालम–सालम 21 ता 25 प्रत्येक में .228 है. बारानी कुल तादादी 6.200 है. बादीनी को प्राप्त हुई तथा वादीनी अपने पिता के जीवन काल में ही इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करना शुरू कर दिया तथा आज दिन इस तमाम भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में फसल रबी 2011–12 काश्त की हुई है। वादी एक नाम मात्र का साक्षर है तथा भौला भाला है इसलिए वह अपनी कब्जा काश्त की भूमि को काश्त करने मैं ही लगा रहा है लेकिन प्रतिवादी सं. 4 जो कि एक पढ़ा लिखा तथ हौशियार है उनसने वादी के पिता की उक्त भूमि में से उक्त मु.नं. 21 के कि.नं. 11 ता 15 सालम सालम कुल 1.265 है. बारानी का बैयनामा अपने नाम से तथा कि.नं. 16 ता 20 सालम सालम कुल 1.265 है.बारानी अपनी पत्नी प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तस्दीक करवा लिया। जब कि इस भूमि का आज तक ना तो प्रतिवादी सं. 4 व 5 का कब्जा रहा है तथा ना ही कभी उन्होने इन किलाजात की काश्त की है। उक्त भूमि अपने नाम जरिये बैयनामा कराने की प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 ने कभी भनक नहीं लगने दी तथा वादी के पिता श्री हाकमसिंह की दिनांक 26.06.1994 को ही हो चुकी है लेकिन प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 ने सन् 95 व 97 में किसी अन्य हाकमसिंह को खड़ा करके अपने नाम बैयनामा तस्दीक करवा लिया। इसलिए प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 के नाम किया गया बैयनामा भी शून्य तथा प्रभावहीन है। उसके बाद प्रतिवादी सं. 4 ने वादी के पिता का एक फर्जी तथा कुट रचित मृत्यु प्रमाण पत्र सन् 99 में प्राप्त कर शेष उक्त मु.नं. 21 की कि.नं. 1 ता 10 सालम–सालम, 21 ता 25 प्रत्येक .228 है. का विरास्तन इन्तकाल सं. 125 मृतक हाकमसिह के सभी वारिसान यानि वादी तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज करवा लिया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 पिता की मृत्यु के बाद ही यह चक छोड़ कर पंजाब तथा हरियाणा चले तथा प्रतिवादी सं. 4 सर्विस में होने के कारण कभी भी इस भूमि को काश्त नहीं किया तथा ना ही आज तक अपने तथा प्रतिवादी स. 5 के नाम से कराए गए बैयनामा की जानकारी थी लेकिन जब भूमि के भावों में काफी वृद्धि होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का मन बेइमान हो चुका है तथा भूमि उपजाऊ शक्ति को देखकर अब आए दिन वादी को [illegible] दी है ये अपने–अपने हिस्सा तथा अपने नाम कराए गए बैयना[illegible] पर वादी को बेदखल कर अपना कब्जा करेंगे। वादी [illegible] कानी तो वे उसे जान से मारकर उसकी लाश [illegible] जब वादी का प्रतिवादीगण द्वारा बार–बार इस प्रकार [illegible] तो वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अपने परिचित व्यक्ति को साथ लेकर पटवारी हल्का से मिल कर रिकार्ड की जानकारी चाही तो प्रतिवादीगण के इस कृत्य की जानकारी हुई।दिनांक 09.10. 2011 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 समेजा में आए तथा एक राय होकर वादी उक्त कब्जा काश्त की भूमि में गए जहावादी चना की काश्त कर रहा है। तथा प्रतिवादीगण जिनके पास लाठी गण्डासी थी। आते ही वादी को एलानिया धमकी दी कि वह इस भूमि से चला जाए तथा वे अपना कब्जा करेंगें लेकिन मौका पर आस पास के काश्तकारान प्रतिवादीगण को समझाया कि आपस में भाई हो घर जाकर बात कर लेना लेकिन प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 तो उस वक्त लोगों के कहने से खेत से वापिस आ गए लेकिन कहा कि वे जल्द ही भूमि पर अपना कब्जा करेंगे या जब चना की फसल पक कर तैयार हो जावेगी वे चना की तमाम फसल काट ले जावेगें। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद है तथा बिनाय दावा वादी को सन् 94 से जब वादी के पिता की मृत्यु हुई तथा वादी के पिता की मृत्यु हुई तथा वादी अकेला इस भूमि की काश्त कर रहा है से प्राप्त है। प्रतिवादी अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होते है तो इससें वादी के हक व अधिकारी का हनन होगा। क्योकि वादी का इस भूमि पर सन् 94 से एकल कब्जा होने के कारण उसका कब्जा एडवर्स पोजीशन में भी आ जाता है तथा वादी एडवस पोजीशन के आधार पर इस भूमि का खातेदार हो चुका है। प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले नाजायज कब्जा से वादी को ऐसा नुकशान होगा जिसका कोई मुल्याकन नहीं होगा तथा आपस में विवाद बढेगा। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जानी न्यायोचित है। वाद अधिकारों की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 07 भू-धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायालय दो रूपये की कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से फसला व डिक्री फरमाया जावे। कि चक 14 पीटीडी तहसीलदार रायसिंहनगर मु.नं. 21 पं.नं. 267/340 के कि.नं. 1 ता 25 तादादी 6.200 है. बारानी में वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से तथा उक्त भूमि को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 किसी भी तरह से रहन बैय करने से बाज व ममनु रखें जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे। वादी को अनुतोष की मद क में वर्णिति भूमि पर सन् 94 से लेकर आज तक कब्जा काश्त होने के कारण उसका कब्जा एडवर्स पोजीशन का माना जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के नाम किया गया विरास्तन तथा बैयनामा के आधार पर इन्तकाल शून्य तथा प्रभावहीन माना जाकर वादी की इस भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया ... प्रतिवादी सं. 4-5 की तरफ से मनीराम शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 हाजिर नहीं आये। प्रतिवादी सं. 4-5 की तरफ से अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण ... चक 14 पीटीडी में मु.नं. 21 पं.नं. 267/340 के 6.200 है. बारानी व मु.नं. 25 का पं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

सं. 271/340 में 8.18 बीघा नहरी भूमि खातेदारी है। चक 14 पीटीडी मु.नं. 21 के कि.नं. 1 ता 20 व 21 ता 25 को वादी को देने की इच्छा नहीं जताई, ना ही वादी का उक्त भूमि पर कब्जा ही रहा। प्रतिवादीगण ने 14 पीटीडी के मु.नं. 21 के कि.नं. 11 ता 15 तथा 16 ता 20 को प्रतिवादीगण ने अपने पिता को प्रतिफल चुका कर अपने नाम से रजि. बैयनामा करवाया था। उक्त भूमि पर बैयनामा के रोज से ही प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है प्रतिवादीगण की उक्त भूमि खरीद शुद्वा है जिस पर वादी का किसी प्रकार से कोई अधिकार नही बनता है प्रतिवादीगण ने कोई चोरी से अपने पिता से उक्त भूमि खरीद नहीं की उसने रायसिंहनगर तहसीलदार साहब से बैयनामा करवाया था। प्रतिवादीगण के पिता हाकमसिंह की मृत्यु दिनां क 12.10.1999 को हुई थी। वादी ने वाद मे प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु तारीख जान बुझ कर वाद को बाल देने के लिये वाद पत्र में गलत अंकित की है। अगर वादी को प्रतिवादीगण द्वारा करवाया गया बैयनामा झूठा एवं फर्जी लगता है तो उसे कैन्सल करवाने के लिये सिविल न्यायालय में प्रोपर कोर्ट में दावा पेश करना चाहिये था। इसलिए यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। बैयनामा होने के बाद प्रतिवादीगण के नाम विवादग्रस्त भूमि का इन्तकाल हो चुका है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब दावा प्रतिवादीगण सं. 4–5 पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद को खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 4–5 को अपना हर्जा एवं खर्चा वादी से दिलवाया जावें। जवाब दावा शामिल मिसल किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

1. आया कि चक 14 पी.टी.डी. मु.नं. 21 पं.नं. 267/340 की 6.200 है. बारानी भूमि पर वर्ष 1994 से लगातार कब्जा काश्त होने के कारण एडवर्स पोजीशन के आधार वादी व वादी के वारिसों खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।
–:जिम्मेवादी

2. आया कि मु.नं. 21 के कि.नं. 11 ता 15 कुल 1.265 है. बारानी का बैयनामा प्रतिवादी सं. 4 हरबंशसिंह के पक्ष में तथा कि.नं. 16 ता 20 का बैयनामा प्रतिवादी सं. 5 सावित्रीदेवी पत्नी हरबंशसिंह के पक्ष में निस्पादित है। इन्हे निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नहीं है।
–:जिम्मेप्रतिवादी

3. अनुतोष।

वादीगण परमजीतकौर पत्नी श्री जसवन्तसिंह रायसिख ने दिनांक 28.08.2024 को शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अन्य को साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य/शपथ पत्र पेश नहीं किये गये।

दिनांक 21.02.2023 प्रार्थीया परमजीतकौर पत्नी जसवन्तसिंह जाति रायसिख साकिन सीड फार्म पक्का, अबोहर फाजिल्का पंजाव ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 151 सीपीसी पेश किया जो शा[illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 151 सीपीसी दिनांक 27.07.20[illegible] को [illegible]ीकार किया गया।

हमने एकपक्षीय की बहस सुनी तथा उप[illegible] किया [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन [illegible] हुए [illegible]िक प्रावधानों

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या (A) आया कि चक 14 पी.टी.डी. मु.नं. 21 पं.नं. 267/340 की 6.200 है. बारानी भूमि पर वर्ष 1994 से लगातार कब्जा काश्त होने के कारण एडवर्स पोजीशन के आधार वादी व वादी के वारिसों खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

–:जिम्मेवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था राजस्व रिकार्ड के अनुसार चक 14 पी.टी.डी. मु.नं. 21 पं.नं. 267/340 कुल 6.200 है. बारानी भूमि हाकमसिंह पुत्र महताबसिंह जाति रायसिख साकिन समेजा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी उक्त भूमि में से कि.नं. 11 ता 15 कुल 1.265 है. बारानी भूमि का बैयनामा हाकमसिंह द्वारा प्रतिवादी सं. 4 हरबंशसिंह के नाम करवा दिया तथा कि.नं. 16 ता 20 की 1.265 है. बारानी का बैयनामा हाकमसिंह द्वारा सावित्रीदेवी पत्नी हरबंशसिंह के नाम करवाया। उक्त दोनों बैयनामों का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा शेष भूमि कि.नं. 1 ता 10 व 21 ता 25 का नामान्तरण हाकमसिह की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसों करतारसिंह–कश्मीरसिंह, सन्तासिंह, हंसराज, हरबंशसिंह, करतारोंबाई पिता हाकमसिंह ब.हि.ब. दर्ज रिकार्ड हो चुका है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससें यह प्रमाणित होता है कि वादी का सन् 1994 से लगातार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त हैं। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार भी नहीं दिये जा सकते। इस तनकी को वादी सिद्व करने में असफल रहे है इसलिए यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि मु.नं. 21 के कि.नं. 11 ता 15 कुल 1.265 है. बारानी का बैयनामा प्रतिवादी सं. 4 हरबंशसिंह के पक्ष में तथा कि.नं. 16 ता 20 का बैयनामा प्रतिवादी सं. 5 सावित्रीदेवी पत्नी हरबंशसिंह के पक्ष में निस्पादित है। इन्हे निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नहीं है।

–:जिम्मेप्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। वादग्रस्त भूमि के मु.नं. 21 के कि.नं. 11 ता 15 की 1.265 है.बारानी भूमि का बैयनामा हाकमसिंह द्वारा प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष तथा कि.नं. 16 ता 20 की 1.265 है. का बैयनामा प्रतिवादी सं. 5 सावित्रीदेवी पत्नी हरबंशसिह के पक्ष में निस्पादित किया हुआ है। इस बैयनामों के आधार पर नामान्तरणकरण तस्दीक किये जा चुके है तथा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुकी हैं। पंजीबद्व बैयनामे को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है सिविल न्यायालय को है। इस तनकी को सिद्व करने में प्रतिवादीगण सफल रहें है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 2 वादीगण के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि [illegible] तनकीजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जातीहै।

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे [illegible] धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण [illegible] साबित नही होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्रकरण सं. 141/ 2011 अनवान
करतारसिंह बनाम कशमीरसिंह आदि
निर्णय दिनांक 29.10.2024

निर्देशित किया जाता है कि वादी की मृत्यु होन के कारण इनके हिस्से की भूमि का इसके जायज विधिक वारिसों के नाम नामान्तरण दर्ज करे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner